प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

31 मई 2024

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – अप्रैल 2024

अप्रैल 2024[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर, खाद्येतर बैंक ऋण[2] में अप्रैल 2024[3] में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 16.2 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण[3] के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण में संवृद्धि अप्रैल 2024 में बढ़कर 19.7 प्रतिशत (व-द-व) हो गई, जो एक वर्ष पहले 16.8 प्रतिशत थी।
- उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में अप्रैल 2024 में 6.9 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई, जबकि अप्रैल 2023 में यह 7.2 प्रतिशत थी। प्रमुख उद्योगों में, अप्रैल 2024 में ‘सभी इंजीनियरिंग’, ‘रसायन और रासायनिक उत्पाद’, ‘खाद्य प्रसंस्करण’, ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ और ‘कपड़ा’ हेतु प्रदत्त ऋण की संवृद्धि (व-द-व) में तेजी आई। हालांकि, ‘मूल धातु और धातु उत्पाद’ की ऋण संवृद्धि धीमी हुई, तथा ‘पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं परमाणु ईंधन’ के संबंध में कमी आई।
- सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में संवृद्धि अप्रैल 2024 में 19.2 प्रतिशत (व-द-व) पर मजबूत थी (एक वर्ष पहले 21.3 प्रतिशत), जो ‘वाणिज्यिक स्थावर संपदा’ और ‘पेशेवर सेवाओं’ की ऋण वृद्धि में सुधार के कारण थी। ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)’ और ‘व्यापार’ हेतु प्रदत्त ऋण में संवृद्धि अप्रैल 2023 की तुलना में अप्रैल 2024 में धीमी हुई।
- आवास हेतु प्रदत्त ऋण की संवृद्धि में तेजी के बावजूद, वैयक्तिक ऋणों की संवृद्धि अप्रैल 2024 में घटकर 17.4 प्रतिशत (व-द-व) हो गई (एक वर्ष पहले 19.4 प्रतिशत), जो मुख्य रूप से वाहन ऋणों में धीमी वृद्धि के कारण थी।

अजीत प्रसाद
उप महाप्रबंधक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी : 2024-2025/413

[1] आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।
[2] खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा-42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।
[3] किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।